समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

समग्र शिक्षा (माध्यमिक)

कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला परियोजना अधिकारी

जनपद- बलिया (उ०प्र०)- 277001, E-mail- rmsa.ballia@gmail.com

पत्रांकः समग्र शिक्षा(मा0)/ 5872 - 83 /2026–27 दिनांकः 21/08/2026

निःशुल्क प्रेस विज्ञप्ति

राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा माध्यमिक, उ०प्र०, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक/समग्र शिक्षा (मा०)/664–65/2026–27 दिनांक 11.06.2026 के अनुक्रम में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के अन्तर्गत, जनपद बलिया के 33 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं को 03 माह तक आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। जिस हेतु मार्शल आर्ट प्रशिक्षित ट्रेनर्स (ब्लैक बेल्ट योग्यताधारी) का चयन किया जाना है। इस हेतु आवेदन का प्रारूप जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय बलिया या निकटवर्ती राजकीय हाईस्कूल/इण्टर कालेज, जनपद बलिया से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। प्रशिक्षित ट्रेनर्स हेतु आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि 07.09.2026 को सायं 05:00 बजे तक निर्धारित है।

प्रशिक्षक के चयन हेतु विशेष बिन्दु निम्नवत् है–

1. जनपद बलिया के 33 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ''रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण'' के अन्तर्गत बालिकाओं को 03 माह तक आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु प्रशिक्षकों के चयन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 07.09.2026 को सांय 05:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते है। निर्धारित तिथि के उपरान्त कोई आवेदन किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. प्रशिक्षक द्वारा अपना आवेदन निर्धारित तिथि तक पंजीकृत डाक के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक, कार्यालय, बलिया में प्रेषित किया जा सकता है।
3. प्रत्येक राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा प्रति माह रू० 5,000/– की दर से प्रशिक्षक को मानदेय प्रदान किया जायेगा तथा प्रशिक्षक को तीन माह हेतु अधितकम मानदेय रू0 15,000/– दिया जायेगा।
4. उक्त प्रशिक्षण प्रत्येक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 03 माह हेतु निर्धारित है।
5. प्रशिक्षण की अवधि प्रतिदिन 40 मिनट निर्धारित है।
6. प्रशिक्षण हेतु ऐसे प्रशिक्षकों का चयन किया जायेगा जिसके पास मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट योग्यता प्रमाण–पत्र हो।
7. चयनित प्रशिक्षण ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में भी कार्य करने का इच्छुक हो।
8. प्रशिक्षक के रूप मे यथा सम्भव महिला प्रशिक्षक का ही चयन किया जायेगा। महिला प्रशिक्षक न मिलने की स्थिति में पुरूष प्रशिक्षक चयनित किया जायेगा।
9. जिन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में महिला शिक्षिका कार्यरत नहीं है उनमें महिला प्रशिक्षक को भेजा जायेगा।
10. प्रशिक्षकों के चयन में उनके कार्य अनुभव प्रमाणपत्र एवं उनके शैक्षिक प्रमाणपत्रों के आधार पर वरियता दिया जायेगा।
11. मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट योग्यताधारी प्रशिक्षित ट्रेनर्स के चयन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया या निकटवर्ती राजकीय हाईस्कूल/इण्टर कालेज, जनपद बलिया से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

संलग्नकः–आवेदन पत्र प्रारूप।

जिला विद्यालय निरीक्षक,
बलिया।

पृ0सं0:समग्र शिक्षा(मा0)/ 5872 - 83/2026–27 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा माध्यमिक, उ०प्र०, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, जनपद बलिया।

3. मुख्य विकास अधिकारी, जनपद बलिया।
4. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़, मण्डल आजमगढ़।
5. जिला पंचायत अधिकारी, बलिया को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक के चयन के लिये व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु विज्ञप्ति समस्त ग्राम प्रधानों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. जिला क्रीडाधिकारी, बलिया को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र अपने कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा करने का कष्ट करें।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. प्रधानाचार्या, राजकीय बालिका इण्टर कालेज, बलिया।
9. समस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बलिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संलग्न पत्र आवेदन पत्र एवं विज्ञप्ति को सूचना पट्ट पर चस्पा करना सुनिश्चित करें तथा स्थानीय स्तर पर जूड़ो–कराटे, ताइक्वांडो आदि मार्शल आर्ट शिक्षकों को आवेदन करने हेतु प्रेरित करें।
10. जनपद में संचालित समस्त निदेशक, जूडो कराटे, ताइक्वांडो आदि मार्शल आर्ट संघ/संस्था जनपद–बलिया को इस आशय के साथ प्रेषित कि प्रशिक्षकों के चयन हेतु प्रतिभागियों को प्रेरित करने का कष्ट करें।
11. जिला सूचना अधिकारी, बलिया को इस अनुरोध के साथ प्रेषित उक्त विज्ञप्ति जनहित में जनपद स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
12. सम्पादक महोदय, दैनिक हिन्दुस्तान, दैनिक अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक आज, जनसन्देश टाइम्स आदि **को इस** अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र में उपरोक्त सूचना को जनहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

जिला विद्यालय निरीक्षक,
बलिया।

रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के अन्तर्गत जनपद बलिया के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु प्रशिक्षक चयन

–:आवेदन पत्र वर्ष 2026–27:–

फोटो स्वयं प्रमाणित

1. प्रशिक्षक का नाम– ....
2. पिता/अभिभावक का नाम..
3. जन्म तिथि...
4. लिंग...
5. पता...

....ब्लॉक...

तहसील.. जनपद...

6. मोबाईल नं0...
7. आधार नं0...
8. शैक्षिक योग्यता ....
9. मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट है अथवा नही..
10. मार्शल आर्ट का नाम...
11. मार्शल आर्ट प्रशिक्षण का कार्य अनुभव..(वर्ष में)
12. प्रशिक्षण ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में भी कार्य करने का इच्छुक है अथवा नहीं..............
13. विज्ञप्ति में प्रकाशित समस्त नियम व शर्ते मान्य है अथवा नहीं...
14. राजकीय माध्यमिक विद्यालय का नाम जहां कार्य हेतु इच्छुक है (कम से कम तीन विद्यालय का नाम) ....

....

प्रशिक्षक का बैंक खाता

विवरण:–

बैंक खाता संख्या– ....

आई0एफ0एस0सी0 कोड ....

बैंक का नाम ....

संलग्नक–

1– आधार कार्ड।
2– शैक्षिक प्रमाण पत्र।
3– मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट प्रमाण पत्र छायाप्रति।
4– कार्य अनुभव प्रमाण पत्र।
5– बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति।

दिनांक–...

स्थान–... (आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर)